सं. एनएस–एमआईएससी0ओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस (आरएनआई)

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

https://prgi.gov.in

दिनांक: 05.08.2025

2025 की एड्वाइजरी संख्या 31

विषय: प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूपांतरण और 1 सितंबर, 2025 से विसंगति पत्र के प्रत्युत्तर में भौतिक डाक स्वीकार न करना

जैसाकि आप सभी अवगत हैं कि 1 मार्च, 2024 से नया प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण नियमावली, 2024 प्रभावी हो गए हैं, जिनमें प्रेस सेवा पोर्टल को सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण से संबंधित सभी मामलों पर कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाता है।

2. चूंकि प्रेस सेवा पोर्टल को नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण से संबंधित सभी सेवाओं के लिए कार्यात्मक किया गया है, इसलिए अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और अधिक कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कार्य परिवेश को बढ़ावा देने की पीआरजीआई की प्रतिबद्धता के क्रम में, सभी संबंधित प्रकाशकों/स्वत्वाधिकारियों या अन्य सभी हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है कि प्रेस महापंजीयक के कार्यालय (पीआरजीआई) में **1 सितंबर 2025 से पंजीकरण/संशोधित पंजीकरण/स्वामित्व हस्तांतरण/वार्षिक विवरण/प्रकाशन बंद करने/प्रकाशन जारी न रखने/अखबारी कागज संबंधी घोषणा/प्रसार सत्यापन** के लिए किसी भी प्रकार की भौतिक डाक (कागज–आधारित पत्राचार/दस्तावेज) स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. यह पहल पीआरपी अधिनियम, 2023 में परिकल्पित डिजिटल रूपांतरण और कागज़ रहित कार्यालय अवधारणा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दस्तावेज़ों की मैन्युअल हैंडिलिंग को कम करना, ट्रेस करने की क्षमता को बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी लाना है। हम सभी संबंधित पक्षों से यह अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण रूपांतरण को सुगम बनाने में हमारा सहयोग करें।

इसे प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक